# भारत सरकार
# पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
# क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
# Ministry of Environment, Forest and Climate Change
# Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

प्रकृति रक्षति रक्षितः
Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com


पत्र सं0 8बी/राज0/08/13/2016/एफ.सी. /512

दिनॉक: 17.02.2017

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन, झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जयपुर, राजस्थान

**Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/16289/2015**

विषय : **Diversion of 0.5662 ha. of forest land for laying of pipeline and construction of ESR under Integrated Taranagar-Jhunjhunu-sikar drinking water supply project, Pkg-II in favour of PHED Division Jhunjhunu.**

संदर्भ– अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक– एफ14(पीएचईडी)2015/एफसीए/प्रमुवसं/3160, दिनांक– 19.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित प्रकरण हेतु 0.5662 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि के पांच गुने अवनत वन भूमि अर्थात् 2.831 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। धनराशि FCA online Portal के माध्यम से ई चालान द्वारा जमा की जाएगी।

इसके उपरान्त online portal के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को आवश्यकतानुसार नर्सरी एवं पीने के लिए पानी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए।

7. **विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक,** Backword and Forword bearing **एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।**

8. पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी नाली मे पाइप डालने के उपरान्त पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा।

9. लोक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) प्रस्तुत करें।

10. दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर प्रस्तुत करें।

11. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का डिजिटल मानचित्र प्रस्तुत करें।

12. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

**भवदीय,**

17/02/17

**(अमित मिश्र)**

**उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)**

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. उप वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान।
4. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जे0बी0शाह कालेज के पास, मण्डावा रोड, मेघवाल कामप्लेक्स, तृतीत तल, झुनझुनु, राजस्थान।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

17/02/17

**(अमित मिश्र)**

**उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)**